**समाचार**

**सुधीर कुमार श्रीवास्तव हेल्पर मजदूर को अंतिम सूचना पत्र जारी**

कोरबा 09 जनवरी 2019 -निगम में हेल्पर मजदूर के पद पर कार्यरत सुधीर कुमार श्रीवास्तव को बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लंबे समय से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने पर आज अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे सात दिवस के भीतर उपस्थित होवें, अन्यथा नियमों के तहत उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

नगर पालिक निगम कोरबा में कार्यरत श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव हेल्पर मजदूर को अंतिम सूचना पत्र जारी कर कहा गया है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना माह जुलाई 2018 से आज पर्यन्त तक अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार के कृत्य के लिए पूर्व में भी दंडित किया जाकर भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति नहीं होने की शर्त पर उनकी सेवा बहाल की गई थी। कार्यालयीन आदेश क्र. 15178 दिनांक 24.10.2018, पत्र क्र. 15925 दिनांक 06.07.2018 एवं अंतिम सूचना पत्र 17603 दिनांक 26.12.2018 द्वारा बार-बार सूचित किए जाने के पश्चात भी आज पर्यन्त तक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए, जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3)(7) का स्पष्ट उल्लंघन है। श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया है कि वे सात दिवस के भीतर आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के समक्ष उपस्थित होवें, अन्यथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3)(7) एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.02.2015 के अनुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी।